प्रेस विज्ञप्ति बिजनौर पुलिस दिनांकः— 08.06.2021

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा गौकशी करते हुए 05 अभियुक्तगण 60 किलो गोवंशीय मांस व काटने के उपकरण सहित गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 07.06.2021 को थाना स्योहारा पुलिस को जरिये मुखविर सूचना मिली कि कस्बा सहसपुर के मौहल्ला शेखान तलाई मे ग्यासुद्दीन पुत्र अब्दुल रशीद के मकान मे ग्यासुद्दीन तथा उसके परिवार वाले व उसके साथियों द्वारा गोंवशीय पशु को काटा जा रहा है। सूचना पर ग्यासुद्दीन उपरोक्त के मकान पर छापेमारी की गयी तो 08 पुरूष व 04 महिलाएं गोंवशीय पशु काटते हुए पाये गये। थाना पुलिस द्वारा मौके से 05 अभियुक्तगण को 60 कि0ग्रा0 गोवंशीय मांस व काटने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। इनके अन्य साथी मौके से फरार हो गये जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। उक्त सम्बन्ध में थाना स्योहारा पर **मु0अ0सं0 – 300/21 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा पूछताछ मे बताया गया कि हम लोग आज एक आवारा गाय के बछडे को पकडकर बेचने हेतु काट रहे थे। गोंवशीय मीट लोगो द्वारा अधिक दामों मे खरीद लिया जाता है जिससे हमे अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। इससे पहले भी हमने कई बार आवारा गोवंश को पकडकर काटकर उसका मीट बेचा है।

अभियुक्तगण का नाम व पताः—

1— इस्लामुद्दीन पुत्र रशीद निवासी मौ0 शेखान तलाई कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2— ग्यासुद्दीन पुत्र अ0 रशीद निवासी उपरोक्त
3— फईम पुत्र छिद्दन अहमद निवासी उपरोक्त
4— सजाऊद्दीन उर्फ कल्लन पुत्र सिराज निवासी उपरोक्त
5— बासिद पुत्र बुन्दू निवासी उपरोक्त
6— महताब पुत्र अशरफ निवासी उपरोक्त
7— अय्यूब पुत्र भोलू पहलवान निवासी उपरोक्त
8— नुसरत पत्नी ग्यासुद्दीन निवासी उपरोक्त
9— तरमीना पत्नी इस्लामुद्दीन निवासी उपरोक्त
10— साजिया पत्नी बासिद निवासी उपरोक्त
11— जायदा पत्नी सजाऊद्दीन उर्फ कल्लन निवासी उपरोक्त
12— गय्यूर पुत्र नामालूम निवासी नामालूम

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः—

1— इस्लामुद्दीन पुत्र रशीद निवासी मौ0 शेखान तलाई कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2— ग्यासुद्दीन पुत्र अ0 रशीद निवासी उपरोक्त
3— फईम पुत्र हिद्दन अहमद निवासी उपरोक्त
4— सजाऊद्दीन उर्फ कल्लन पुत्र सिराज निवासी उपरोक्त
5— वासिद पुत्र बुन्दू निवासी उपरोक्त

बरामदगी का विवरणः— 1— 60 कि0ग्रा0 गोंवंशीय मांस 2— 04 पैर मय खुर 3— 01 चापड 4— 03 छुरी लोहे की 5— 01 लकडी का गुटका 6— 01 रस्सी

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः— 1— थाना प्रभारी श्री नरेन्द्र कुमार गौंड 2— उ0नि0 श्री गंगाराम गंगवार 3— है0कां0 198 महेश चन्द 4— है0कां0 11 राजेश प्रताप सिंह 5— कां0 865 धनसिंह मलिक 6— कां0 1712 धीरेन्द्र कुमार 7— कां0 1088 देवपाल सिंह 8— कां0 2379 विजय कुमार 9— कां0 2059 अभय चौधरी

थाना चाँदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 291/2021 धारा 34, 147, 148, 149, 302, 504, 506 भादवि व 7 क्रिमिनल ला एक्ट के शेष 02 15-15 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित/वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार।

दिनांक 19.05.2021 को वादी श्री राजीव कुमार पुत्र छत्रपाल सिहं निवासी ग्राम बसेडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर की तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु291 0सं0अ0/147 धारा 2021/148/ 149/302/504/506/बनाम अजब 0भादवि 34 नफर पंजीकृत कर विवेचना आरम्भ करते हुए 06 सिहं आदिश्रीमान पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में डाप्रवीन रंजन श्रीमान 0 पुलिस अधीक्षक नगर एवं श्री शुभ शुचित क्षेत्राधिकारी चांदपुर के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन करमुकदमा उक्त की घटना में संलिप्त अभियुक्तगण अजब सिहं पुत्र विक्रम सिहं को दिनांक 22.05.सुशील कुमार , को तथा निखिल कुमार पुत्र अजब सिहं 2021 19 पुत्र नत्थू सिहं को दिनांक.05.को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है 2021। अभियुक्तगण सुरेन्द्र व प्रवेन्द्र फरार चल रहे थे जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा 15-15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। दिनांक 07.06.को सुरेन्द्र सिहं पुत्र अकत्यार सिहं व परवेन्द्र सिहं पुत्र सुरेन्द्र सिहं निवासी ग्राम बसेडा थाना चांदपुर 2021 जनपदबिजनौर को ग्राम अकौन्धा तिराहा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर से समय करीब 12.बजे दोपहर गिरफ्तार किया गया 00 02 बोर व 12 एक अदद तमंचा-तथा अभियुक्तगण की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक-बोर बरामद 12 अदद कारतूस जिंदा 02 किये गये।

नाम पता अभियुक्तगण

1. सुरेन्द्र सिहं पुत्र अकत्यार सिहं निवासी ग्राम बसेडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर(गिरफ्तार)
2.परवेन्द्र कुमार पुत्र सुरेन्द्र सिहं निवासी ग्राम बसेडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर (गिरफ्तार)

अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत अपराध

1. सुरेन्द्र सिहं पुत्र अकत्यार सिहं निवासी ग्राम बसेडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

मु291 0सं0अं0/147 धारा 2021/148/149/302/504/506/थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 0भादवि 34
मु332 0सं0अ0/3 धारा 2021/_शस्त्र अधिनियम थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 25

2.परवेन्द्र कुमार पुत्र सुरेन्द्र सिहं निवासी ग्राम बसेडा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

मु291 0सं0अं0/147 धारा 2021/148/149/302/504/506/थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 0भादवि 34
मु 333 0सं0अ0/3 धारा 2021/_शस्त्र अधिनियम थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 25

बरामदगी

बोर 12 जिंदा कारतूस 04 बोर व 12 तमंचा 02

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.उ3 जयपाल सिहं 325 0का0हे 2 श्री संदीप मलिक 0नि0.का4 धर्मेश कुमार 2339 0.का5 वीरेन्द्र सिहं 590 0.का राजू चौधरी 1868 0 6.काप्रशान्त पंवार थाना चांदपुर 964 0

थाना मण्डावली– आज दिनांक 08.06.2021 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1–वाशु पुत्र मुकेश 2–अजीत उर्फ अज्जू पुत्र विनोद निवासीगण कडछ थाना जवालापुर जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड को क्रमशः 30 व 24 पव्वे अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डावली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना कोतवाली शहर– आज दिनांक 08.06.2021 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त फुरकान पुत्र नईम अहमद निवासी मौ0 जुलाहान थाना कोतवाली नगर, जनपद बिजनौर को सम्बन्धित मु0अ0सं0 354/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम में गिरफ्तार किया गया।

एण्टी रोमियोंः– आज दिनांक 08.06.2021 को एंटी रोमियो की टीमों द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों के अर्न्तगत आने वाले बजार/बस अड्डा/सार्वजनिक स्थानो पर एंटीरोमियों चेकिंग की गई तथा बिना वजह घूमने वाले लडको/शोहदो को चेक किया गया व कडी चेतावनी दी गई, साथ ही एंटीरोमियों टीमो द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक स्थानों में महिलाओ से उनकी सुऱक्षा संबध के में वार्ता की गयी व यूपी पुलिस द्वारा चलाई जा रही सुरक्षा संबंधित एप्लिकेशन/112 नंबर/वूमेन पावर हेल्प लाईन 1090/यूपी कॉप/पुलिस सोशल मीडिया के बारे में बताकर जागरूक किया गया। इसी दौरान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाये गये मिशन शक्ति अभियान के बारे में भी जानकारी दी गयी।

थाना धामपुर– आज दिनांक 8 जून 2021 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा सात अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है जिसमें चार अभियुक्तगण 1–मुकुल पुत्र कामेंद्र निवासी 2–अभिषेक पुत्र सुनील निवासी जोशी आन 3–मोहम्मद उमर पुत्र समीम निवासी पहाड़ी दरवाजा 4–मोहम्मद शादाब पुत्र बदरुद्दीन निवासी पहाड़ी दरवाजा थाना धामपुर, जनपद बिजनौर को अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट तथा शेष तीन अभियुक्तगण 1–विजेंदर पुत्र संतराम 2–हिमांशु पुत्र विजेंदर निवासीगण कुंडीपुरा थाना धामपुर 3–शाहनवाज पुत्र युसूफ धामपुर नई बस्ती थाना धामपुर, जनपद बिजनौर को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया है।

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट मे वांछित /15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर द्वारा वांछित/पुरूस्कार घोषित अपराधी के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) धामपुर, क्षेत्राधिकारी अफजलगढ के कुशल निर्देशन में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 111/2021 3(1) गैंगस्टर एक्ट मे वांछित/15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त लवकुश पुत्र करन सिहं निवासी ग्राम हरजी पट्टी रायपुर थाना उधमसिहं नगर उत्तराखण्ड को समय करीब 10.30 बजे भूतपुरी तिराहे से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त लवकुश उपरोक्त द्वारा दिनांक 14.01.2021 को ग्राम हरपुर थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर क्षेत्र के जंगल मे वीरसिहं पुत्र स्व0 मंगल सिहं निवासी ग्राम फाजलपुर मच्छमार थाना रेहड जनपद बिजनौर की हत्या अपने साथी सोमपाल पुत्र धर्मपाल के साथ मिलकर की थी। उपरोक्त आधार पर लवकुश एवं सोमपाल उपरोक्त के विरूद्ध थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 111/2021 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। गैंगस्टर का अभियुक्त लवकुश एक शातिर अपराधी है । अभियुक्त लवकुश की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु **पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा 15000/ रूपये का ईनाम घोषित किया गया था**

अभियुक्त का नाम पता

लवकुश पुत्र करन सिहं निवासी ग्राम हरजी पट्टी रायपुर थाना उधमसिहं नगर उत्तराखण्ड

आपराधिक इतिहास

01. मु0अ0सं0 19/2021 धारा 302/120 बी भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

02. मु0अ0सं0 111/2021 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार सिंह 2. उ0नि0 श्री किरनपाल सिहं 3.उ0नि0 श्री प्रवीण मलिक 4.उ0नि0 श्री प्रवीण मलिक 5.कां0 2211 योगेन्द्र 6.कां0 1401 राहुल 7.रि0कां0 2335 गौरव त्यागी थाना अफजलगढ जिला बिजनौर

थाना मण्डावर– आज दिनांक 08.06.2021 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1–छोटू पुत्र धर्मवीर निवासी कोहरपुर 2–भोलू उर्फ प्रियांशु पुत्र सनोज निवासी ग्राम तितर वाला थाना मण्डावर, जनपदा बिजनौर को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।

थाना शेरकोट– आज दिनांक 08.06.2021 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्त ब्रह्मपाल पुत्र ध्यान सिंह निवासी ग्राम उमरपुर आशा थाना शेरकोट, जनपद बिजनौर को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।

थाना शेरकोट– आज दिनांक 08.06.2021 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1–सावेज पुत्र मोहम्मद जाहिद 2–मोहम्मद सामरान पुत्र मोहम्मद जाहिद निवासी मोहल्ला हकीमान कस्बा व थाना शेरकोट, जनपद बिजनौर को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।

थाना नजीबाबाद– आज दिनांक 08.06.2021 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा चौंकिग के दौरान अभियुक्त 1–तालिब उर्फ मस्ता पुत्र इरफान नि0 ग्राम जसवन्तपुर उर्फ लुकादड़ी थाना नजीबाबाद को एक अवैध तंमचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व अभियुक्त 2–सरफराज उर्फ तौला पुत्र अख्तर नि0 ग्राम जसवन्तपुर उर्फ लुकादड़ी थाना नजीबाबाद को एक अदद चाकू सहित चौंगावापुल से ग्राम जसवन्तपुर उर्फ लुकाधडी की ओर जाने वाले रास्ते पर 200 मी0 की दूरी पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। जिनके सम्बन्ध मे थाना नजीबाबाद पर क्रमशः मु0अ0सं0 285/2021 धारा 3/25 आर्मस एक्ट बनाम तालिब उर्फ मस्ता उपरोक्त एवं मु0अ0सं0 286/2021 धारा 4/25 आर्मस एक्ट बनाम सरफराज उर्फ तौला उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का नाम–

1. तालिब उर्फ मस्ता पुत्र इरफान नि0 ग्राम जसवन्तपुर उर्फ लुकादड़ी थाना नजीबाबाद

बरामदगी

एक अदद तंमचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर

अपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 285/2021 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना नजीबाबाद

अभियुक्त का नाम–

सरफराज उर्फ तौला पुत्र अख्तर नि0 ग्राम जसवन्तपुर उर्फ लुकादड़ी थाना नजीबाबाद

अपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 286/2021 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना नजीबाबाद

बरामदगी

एक अदद चाकू नाजायज

गिरफ्तार करने वाली टीम–1. उ0नि0 श्री विनोद कुमार 2.का0 1603 प्रवीण कुमार 3.का0 96 प्रदीप कुमार थाना नजीबाबाद बिजनौर